राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु–1) विभाग

क्रमांक प. 15 (1) प्रसु/अनु–1/2014 जयपुर, दिनांकः 05 फरवरी, 2015

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलक्टर/
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान

–:परिपत्रः–

विषयः–शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त करने, दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि लगाने तथा परिवादों/शिकायतों/आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद देने बाबत।

आपका ध्यान राज्य सरकार के निम्नांकित आदेशों/परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता हैः–

1. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F.15 (1)AR/Gr-1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 1 जनवरी, 2015 से शपथ पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति लगाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के इन आदेशों का आम जन तक लाभ पहुंचाने के लिए सभी कार्यालयों के सूचना पट्ट एवं स्पष्ट दृश्य स्थान पर निम्नांकित स्लोगन वाल पेंटिंग्स के माध्यम से अंकित किये जावें:–

   "राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2015 से शपथ पत्र देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है एवं दस्तावेजों की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाने की व्यवस्था की है।"

2. राज्य सरकार के आदेश प. 3 (8)प्रसु/टाइम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के द्वारा विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के लिए दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत/कार्यालय में प्राप्त होने वाले परिवाद/शिकायत/आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद दिया जाना आवश्यक है। अतः आम जन की सुविधा हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/अन्य कार्यालयों के सूचना पट्ट/पोस्टर/दीवार लेखन अथवा स्पष्ट दृश्य स्थान पर निम्नांकित स्लोगन अंकित किये जावें:–

(अ) ग्राम पंचायत हेतुः–

"यहां समस्त विभागों से संबंधित परिवाद/परिवेदनाएं/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। पावती रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है।"

(ब) संबंधित विभागों के कार्यालयों के सूचना पट्ट हेतु :–

"यहां पर इस विभाग/कार्यालय से संबंधित सभी प्रकार के परिवाद/शिकायत/प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाकर प्राप्ति रसीद दी जाती है। प्राप्ति रसीद प्राप्त करना आपका अधिकार है।"

कृपया उक्त आदेशों की पालना कराके 15 दिवस में पालना रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को ई–मेल आई.डी. cmv@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करावें।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. सचिव, (प्रथम/द्वितीय)/विशिष्ट सचिव मा. मुख्यमंत्री जी।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी–समस्त राजकीय उपक्रम/निगम/मंडल/स्वायत्तशासी निकाय/जिला परिषद
5. रक्षित पत्रावली।

(राकेश वर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव